राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः परावि/आप्र/PEAIS/2011/ 618 जयपुर, दिनांक 22/7/11

:: आदेश ::

संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कोष, कार्मिक एवं गतिविधियां हस्तान्तरित/क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई कार्यवाही का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा **Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme** लागू की गई है।

योजना के नवीन दिशा–निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के साथ–साथ बेहतर कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया जावेगा। बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं का चयन राज्य स्तर पर किया जाना है अतः चयन की प्रक्रिया निर्धारण करने एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु एक राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति (State Panchayat Performance Assessment Committee, SPPAC) का एतद् द्वारा निम्नानुसार गठन किया जाता है:–

1.	शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज	अध्यक्ष
2.	शासन उप सचिव, प्रशा.2, पंचायती राज	सदस्य
3.	परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (SAP), ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
4.	प्रतिनिधि, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, (प्रो. अनिता),	सदस्य
5.	शासन उप सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज	सदस्य सचिव

उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी:–

1. तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित संकेतांक, मार्किंग स्कीम एवं प्रश्नावली को अन्तिम रूप देते हुए पंचायती राज संस्थाओं को जारी करना।
2. चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी करना, चयन प्रक्रिया की समय–समय पर संवीक्षा करना एवं आवश्यकतानुसार संशोधित दिशा–निर्देश प्रदान करना।
3. जिला परिषदों से सम्बन्धित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त कर बेहतर कार्य करने वाली जिला परिषद का चयन करना एवं भारत सरकार को सिफारिश करना।
4. जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रत्येक जिले के लिये चयनित एक–एक पंचायत समिति/ग्राम पंचायत में से राज्य के लिये निर्धारित संख्या (2 पंचायत समितियों एवं 5 ग्राम पंचायतों) के अनुसार पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों का पुरस्कार के लिये चयन करना एवं भारत सरकार को सिफारिश करना।
5. जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समितियों द्वारा चयनित पंचायत समितियों एवं ब्लॉक स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समितियों द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में प्रस्तुत सूचनाओं की पुष्टि हेतु अधिकारी मनोनीत करना एवं तथ्यों की पुष्टि हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
6. पुरस्कार स्वरूप प्राप्त राशि के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी करना।

समिति की सौंपे गये कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित की जावेंगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग